12-11-2016

अपीलार्थीगण सहित श्री आर०सी० यादव अधिवक्ता शासन द्वारा श्री भगवानसिंह ए.जी.पी.।

आवेदकगण राकेश व नरेशसिंह सहित श्री अशोक जादौन अधिवक्ता।

प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा आवेदनपत्र पर आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण में पूर्व से फरियादी/आवेदकगण की ओर से एक राजीनामा अनुमित बाबत धारा—320(4ख) का आवेदनपत्र पेश करते हुए उसके माता पिता परसादी एवं सोनाबाई की मृत्यु हो जाने व वह उनके वारिस होने के कारण अपने माता पिता की ओर से राजीनामा करने की अनुमित प्रदान करने बाबत एवं धारा—320 (05) जा.फौ. का आवेदनपत्र मय राजीनामा आवेदनपत्र के फोटो चस्पा करके पेश किया जो स्वीकार किया गया है। दोषसिद्ध अपराध

SUSPICE COSM

- Om

GRPG-760-Forms-25-2-15-2.00,000.

	Case No	
Date of Order or oceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	धारा—325/34 एवं 323/34 भा०द०वि० का है, उक्त अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय है । राजीनामा से पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध कायम होने की संभावना है, अतः बाद विचार न्यायहित में फरियादीगण को आरोपीगण/अपीलार्थीगण वासुदेव, पण्पू व शिवचरण से धारा—323/34, 325/34 भा.द.वि. में राजीनामा करने की अनुमति बाद विचार प्रदान की जाती है । अपीलार्थीगण की पहचान श्री रमेश यादव अधिवक्ता द्वारा एवं फरियादी की पहचान श्री अशोक जादौन अधिवक्ता द्वारा की गयी है। राजीनामा विधि अनुकूल होने से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा विधि अनुकूल होने से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा के आलोक में आरोपीगण/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध अपराध धारा—323/34, 325/34 भा.द.वि० से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। आरोपीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमा अर्थदण्ड वापिस किया जावे। आदेशपत्रिका की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड वापिस हो। प्रकरण पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो। पीठासीन अधिकारो, खण्डपीठ क.—20, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश (कं०पी) राठौर) (सदस्य) खण्डपीठ क.—20 गोहद जिला भिण्ड गोहद जिला भिण्ड	AND THE WAY OF THE WAY